

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

::: आदेश :::

का0आ0-15/बि0स0से0-20-03/2018 सा0प्र0...../पटना-15, दिनांक.....

वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या-4685, दिनांक 25.06.2003, 1802 दिनांक 23.03.2006, संकल्प ज्ञापांक-7566 दिनांक 14.07.2010, वित्त विभागीय संकल्प 3590 दिनांक 24.05.2017, तथा वित्त विभागीय पत्रांक 8891 दिनांक 14.11.2017 एवं कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (सामान्य प्रशासन विभाग) का संकल्प ज्ञापांक-390 दिनांक 31.01.2007 तथा संकल्प ज्ञापांक-7043, दिनांक 31.10.2008 के आलोक में बिहार सचिवालय सेवा के निम्नांकित कर्मियों को बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त (रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना) नियमावली, 2010 के प्रावधानों के तहत उनके नाम के सामने स्तंभ-3 में अंकित तिथि से अपनुरीक्षित वेतनमान वेतन बैंड-रू0 9300-34800/- + ग्रेड वेतन-रू0 4800/-, पुनरीक्षित वेतनमान लेवल-8 में प्रथम वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र0 सं0	नाम/पदनाम/वरीयता क्रमांक/विभाग का नाम	प्रथम वित्तीय उन्नयन की तिथि
1	2	3
1	श्री गौतम कुमार चौधरी, सहायक, 277/भाग-3 06.05.1967/31.05.2027 मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग	16.04.2017
2	श्री श्रीनिवास, सहायक, 343/भाग-3 12.08.1961/31.08.2021 मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग	28.06.2017
3	श्री नरेश पंडित, सहायक, 414 (भाग-3) 10.01.1961/31.01.2021, मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग	28.06.2017
4	श्री अरविन्द्र कुमार सुमन, सहायक, 408/भाग-3 05.04.1962/30.04.2022 परिवहन विभाग	28.06.2017
5	श्री रामचन्द्र चौधरी, सहायक, 406/भाग-3 26.01.1960/31.01.2020 परिवहन विभाग	28.06.2017
6	श्री राजेन्द्र पासवान, सहायक, 407 (भाग-3), 22.07.1962/31.07.2022 राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	28.06.2017
7	श्री रामजी लाल, सहायक, 489/भाग-3 09.01.1960/31.01.2020 पी0एच0ई0डी0	28.06.2017
8	श्री गनौरी रजक, सहायक, 481/भाग-3 17.10.1958/31.01.2020 श्रम संसाधन विभाग	28.06.2017

9	श्री विमल कुमार वर्मा, सहायक, 339 (भाग-3) 13.12.1958 / 31.12.2018 संसदीय कार्य विभाग	28.06.2017
10	श्री राज किशोर रजक, सहायक, 404 / भाग-3 13.11.1959 / 30.11.2019 राज्य महादलित आयोग	03.07.2017
11	श्री रामनाथ प्रसाद, सहायक, 370 (भाग-3) 01.01.1963 / 31.12.2022 विधि विभाग	28.06.2017
12	श्रीमती मटिल्डा बाडा, सहायक, 429 (भाग-3) 18.01.1964 / 31.1.2024 योजना एवं विकास विभाग	28.06.2017
13	श्री उमेश कुमार, से0नि0 सहायक 490 (भाग-3) 05.05.1958 / 31.05.2018 योजना एवं विकास विभाग	28.06.2017
14	श्री चन्द्रदेव राम, सहायक, 280 (भाग-3) 21.01.1968 / 31.01.2028 गृह विभाग (कारा)	29.01.2017
15	श्री प्रदीप कुमार चौधरी, सहायक 413 (भाग-3), 10.02.1964 / 28.02.2024, वित्त विभाग	28.06.2017
16	श्री उमा लाल पंडित, सहायक, 376 / भाग-3 01.01.1963 / 31.12.2022 शिक्षा विभाग	28.06.2017
17	श्रीमती निर्मला कुमारी, सहायक, 426 / भाग-3 08.04.1963 / 30.04.2023 अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, (योजना एवं विकास विभाग)	28.06.2017
18	श्री रविन्द्र कुमार, सहायक, 374 / भाग-3 05.01.1963 / 31.01.2023 कारा एवं सुधार सेवाएं निरीक्षणालय, गृह(कारा) विभाग	28.06.2017
19	श्रीमती श्यामा कुमारी, सहायक, 493(भाग-3) 02.01.1963 / 31.01.2023 खान एवं भूतत्व विभाग,	28.06.2017
20	श्री मंगल ऋषिदेव, सहायक, 390 / भाग-3 11.09.1962 / 30.09.2022 पुलिस महानिदेशक का कार्यालय	28.06.2017
21	श्री अरूण कुमार रजक, सहायक, 516 / भाग-3 09.08.1962 / 31.08.2022 ग्रामीण कार्य विभाग	30.10.2017
22	श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह, सहायक, 248 / भाग-3 20.04.1967 / 30.04.2027 आयुक्त कार्यालय, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर।	30.12.2015
23	श्री मानकी उगुर साण्डी, सहायक, 367 / भाग-3 09.01.1961 / 31.01.2021 गव्य विकास निदेशालय	28.06.2017

24	श्री सेवा दास, सेवा निवृत्त, सहायक 325 (भाग-3), 02.04.1958 / 30.04.2018 सहकारिता विभाग	28.06.2017
25	श्री मनोरंजन पासवान, सहायक 420 / भाग-3 12.01.1965 / 31.01.2025 आयुक्त कार्यालय, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर	28.06.2017
26	श्रीमती अनिमा तिग्गा, सहायक, 409 भाग-03, 06.03.1962 / 31.03.2022 गृह विभाग (विशेष शाखा)	28.06.2017
27	श्री शिव कुमार राम, सहायक, 256 / भाग-3 17.01.1968 / 31.01.2028 विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	31.12.2015

2. सहायक संयुक्त सम्वर्ग के गठन के बाद उनके प्रशासी विभाग द्वारा की गयी सेवा सम्पुष्टि नियमानुकूल नहीं है। अतः प्रशासी विभाग इस संबंध में आश्वस्त हो लें और यदि ऐसा है तो सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सेवा सम्पुष्टि कराने के उपरान्त ही उनका वेतन निर्धारण किया जाय।

3. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र संख्या 566 दिनांक 18.10.1995 निर्गत किये जाने के पश्चात सहायक संयुक्त सम्वर्ग के कर्मियों को उनके तत्कालीन प्रशासी विभाग द्वारा परीक्षा से विमुक्ति प्रदान किया जाना नियमानुकूल नहीं है। अतः प्रशासी विभाग इस संबंध में आश्वस्त हो लें और यदि ऐसा है तो सामान्य प्रशासन विभाग से विभागीय परीक्षा से विमुक्ति संबंधी उक्त आदेश की सम्पुष्टि कराने के उपरान्त ही उनका वेतन निर्धारण किया जायेगा।

4. वित्त विभागीय अधिसूचना संख्या-1802 दिनांक 23.03.2006 में निहित प्रावधान के आलोक में वेतन का निर्धारण यथास्थिति मौलिक नियमावली के नियम 22 (I) ए (I) अथवा वित्त विभागीय संकल्प संख्या 630 दिनांक 21.01.2010 की कंडिका 12 में निहित प्रावधान के अनुसार किया जाएगा।

5. उपर्युक्त के आलोक में भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि या पार्थक्य पाये जाने पर उक्त कर्मियों को प्रदत्त एम0 ए0 सी0 पी0 के लाभ से संबंधित आदेश को रद्द/संशोधित कर दिया जाएगा तथा उन्हें भुगतान की गयी राशि की वसूली/प्रतिपूर्ति कर ली जाएगी।


ह0/-

(सिद्धेश्वर चौधरी)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-15 / बि0स0से0-20-03 / 2018 सा0प्र0..... / पटना-15, दिनांक.....

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार पटना/सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।




ह0/-

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापक-15/बि0स0से0-20-03/2018 सा0प्र0.12526/पटना-15, दिनांक.12.9.18

प्रतिलिपि :-संबंधित सभी विभाग/विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ संबंधित कर्मियों को अपने स्तर से आदेश की प्रति उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।


सरकार के अवर सचिव